न्यायालयः— अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम, दानापुर

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या—1218 / 2026
नौबतपुर थाना कांड संख्या— 378 / 2026

1. प्रभावती देवी पति अशोक राम,
2. अशोक मेहरा उर्फ अशोक राम पिता स्व0 युगल मेहरा,
3. राहूल कुमार पिता अशोक कुमार।
साकिनान—सोहरा,थाना—नौबतपुर, जिला—पटना।

—————— अभियुक्तगण।

आवेदक की ओर से— श्री अभिराम कुमार, विद्वान अधिवक्ता।
अभियोजन की ओर से —श्री रामकेश्वर प्रसाद, वि0सहा0लोक अभियोजक।

आदेश

29.06.2026 नौबतपुर थाना कांड संख्या—378 / 2026 धारा—329(4),126(2),115(2),352,109(1),3(5)बी.एन.एस.से संबंधित है, के याची अभियुक्त की ओर से यह अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है।

इस जमानत आवेदन पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस जमानत आवेदन के अतिरिक्त ना ही सत्र न्यायालय और ना ही माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है। आवेदक का आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक निर्दोष है, इसने कोई अपराध नहीं किया है। अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर छोड़ने की प्रार्थना करते हैं।

विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

संक्षेप में सूचक का कथन है कि आज दिनांक—25.05.2026 को समय करीब 4.00 बजे संध्या में मेरे भाई अशोक राम, भतीजा राहूल कुमार एवं भाभी प्रभावती देवी एकाएक मेरे घर में घुस गये और गाली—गलौज करने लगे, जब इसका विरोध मेरी पत्नी अनीता देवी एवं लड़का आयुष कुमार किया तो सभी मिलकर लाठी, डंडा से मारपीट कर जख्मी कर दिया। मारपीट के क्रम में मेरी पत्नी का सिर में एवं लड़का आयुष कुमार को चोट आयी है। वेलोग बराबर मुझे नहीं रहने पर गाली—गलौज करते हैं। उचित कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

सुना। अभिलेख व कांड दैनिकी का अवलोकन किया। प्राथमिकी अवलोकन से विदित होता है कि आवेदकगण सूचक का भाभी, भाई एवं भतीजा है। अपराध सामान्य, अस्पष्ट या सामूहिक आरोप प्रकृति का होता हुआ प्रतीत होता है। कांड दैनिकी के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि जख्मी आयुष कुमार एवं अनीता देवी पर कारित जख्म साधारण प्रकृति का है। कांड दैनिकी के पैरा—29. से विदित है कि अभियुक्तगण पर कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक सं0—1. प्रभावती देवी महिला है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में उक्त अभियुक्तगण द्वारा भविष्य में इसतरह का अपराध नहीं करने का अंडरटेकिंग दाखिल करेंगे

न्यायालयः— अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम, दानापुर

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या—1218 / 2026
नौबतपुर थाना कांड संख्या— 378 / 2026

लगातार

29.06.2026

व एक—एक जमानतदार उनके निकट संबंधी होने पर आदेश की तिथि से 30 दिनों के अंदर विचारण न्यायालय में आत्मसमर्पण / गिरफ्तार होने पर, धारा—438(2) द.प्र.सं. में वर्णित शर्तों के अधीन मो0 10,000 / —रू0 के दो प्रतिभू के बंधपत्र दाखिल करने पर अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है। कार्यालय आदेश की प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को प्रेषित करें।

लेखापित,
Sd/-

अ0स0न्याया0,पंचम,दानापुर।